



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / योबो-43 / 2015- 730

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/पोड़ाहाट वन प्रमंडल,
पोड़ाहाट/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/
जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल,
लोहरदगा/राँची वन प्रमंडल, राँची/खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी/सिमडेगा वन प्रमंडल,
सिमडेगा।

दिनांक :- 23 / 05 / 2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4 / योबजट-03 / 2011-08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / योबजट-15 / 2006-08 / आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या

4/यो0बजट-03/2011-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या-

04/यो0बजट-15 /2006-08/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)				
क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विषय कोड	आवंटित राशि
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष— 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09—लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	67.672
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	53.952
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	3.500
कुल आवंटित राशि				125.124

अर्थात् कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष— 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09—लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक—11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों को अनुपालनार्थ एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन

विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे हैं।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनदर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

16. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।



17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक-16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) एवं ऑन-लाईन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विष्वासभाजन,
~~Chaitram~~
~~23.5.2016~~
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।
Biju

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक-16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) एवं ऑन-लाईन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,


अनुलग्नक :- यथोक्त।

८०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-43/2015- 730 राँची, दिनांक :-23.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू//क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक—16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न—1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक—2 (क) एवं (ख) एवं ऑन—लाईन अनुलग्नक—3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त।

४०/—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१ / यो०ब० —४३ / २०१५— ७३० राँची, दिनांक :—२३.०५.२०१६


प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

४०/—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१ / यो०ब० —४३ / २०१५— ७३० राँची, दिनांक :—२३.०५.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/कोषागार पदाधिकारी, खूंटी/कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/05/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगिनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय / प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016-17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
2	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
4	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
5	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
7	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	250.00	25000.00	9.454	7.594	0.500	17.548
9	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
10	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
11	राँची वन प्रमंडल, राँची	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
योग :-		1500.00	150000.00	56.724	45.564	3.000	105.288

M. Manohar
अपर प्रधान मुख्यमंत्री सरकार, विकास

Signature
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016-17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
1	खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
योग :-		250.00	25000.00	10.948	8.388	0.500	19.836


 अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास
 बागरखण्ड, राँची।
 23/5/2016

कुमुदी नाना उत्तमदान हेतु दर्शनालय

क्र.सं	कार्य का विवरण	दर	प्रयोग का विवरण			दिल्ली का विवरण			दिल्ली का विवरण		
			वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम	वार्षिक रकम
1	वृक्षों का नियन्त्रण		१२५०० रुपये	०.३१	०.००	०.००	०.३१	०.००	०.००	०.००	०.००
1	प्रशिक्षण										
	(क) दिल्ली परिवारों के स्टॉ-एक सदस्य को समर्थन के लिए लाइ वैकानेली द्वारा प्रशिक्षण	००.२५ प्रति रुपये	००.२५ प्रति रुपये	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
2	प्रशिक्षण										
	(क) दिल्ली परिवारों के स्टॉ-एक सदस्य (वै) लाइ वैकानेली द्वारा प्रशिक्षण	००.२५ प्रति रुपये	००.२५ प्रति रुपये	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
3	दूलकीट एवं अन्य सामग्री		२०५०० रुपये	२.२१९	२.२१९	२.२१९	२.२१९	०.००	०.००	०.००	०.००
4	दूलकीट एवं अन्य सामग्री		२०५०० रुपये	२.२१६	२.२१६	२.२१६	२.२१६	०.००	०.००	०.००	०.००
5	प्रैविन लाइ का रुपया		५००० रुपये	३०,०००	३०,०००	३०,०००	३०,०००	०.००	०.००	०.००	०.००
6	संचारण व्यय		१,००० रुपये	१,६६२	१,६६२	१,६६२	१,६६२	२.२१६	२.२१६	१,६६२	५,५४०
7	फसल संरक्षण पर व्यय		५००० रुपये	२,२५०	२,२५०	२,२५०	२,२५०	३,०००	३,०००	२,२५०	७,५००
8	कीटनाशक विद्युक्तात हेतु गोकोग सर्क (गिटर)	१०००० प्रति रुपये	१०००० प्रति १० लाइ	७,५००	७,५००	७,५००	७,५००	०.००	०.००	०.००	७,५००
9	फुकों का स्क्रेपिंग एवं संरक्षण		५००० रुपये	०.३३२	०.३३२	५००० रुपये	०.४४३	०.४४३	०.३३२	०.३३२	१,१०८
10	तकनीकी संरक्षण (विशेषज्ञों एवं लाइ		०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.७५०
11	लाइ परिवेशकों को भागदेय	१ प्रतिवेद्य रुपये	०.३००	०.००	०.३००	१ प्रतिवेद्य (१२ वार्षिक)	०.६००	०.००	०.६००	०.६००	१,५००
12	CRP (Community Resource Person) को भागदेय	५००० प्रतिवेद्य रुपये	१२ CRP @ ५०००	१,४४०	१,४४०	१२ CRP (१२ वार्षिक)	२,८८०	२,८८०	२,८८०	२,८८०	७,२००
13	अन्य आकृतिक व्यय (बैडू, लाइटिंग एवं रस्ती, दूरध्वनी इत्यादि)		०.५००	०.५००	०.५००	०.५००	०.५००	०.५००	०.५००	०.५००	१,५००
14	Concurrent Monitoring and Evaluation, data Collection, reports, case studies etc.]		६,२८२	४२,७९	०.५१०	५०,५१२	०.२५६	०.२५६	०.१०४	०.१०४	१,४६१
			६,२८२	४४,७२९	०.५१०	५१,५२२	०.२५०	०.२५०	०.२५०	०.२५०	७,४९७

नोट : बर्तावन दिलीय गई के लिए गजट्टी दर पर आ नियोजन एवं प्रशिक्षण लिए द्वारा नियमित न्यूनतम प्रबंधरी दर के अपार पर योजना का प्राप्तिकर्त्ता देवर किया जाएगा।

प्रसान्न प्रसान्न प्रसान्न प्रसान्न

क्रमांक	कार्य का विवरणी	दर	प्रधान तर्फे मानविकी प्रति मानव विवरण 221.61						द्वितीय तर्फे मानविकी प्रति मानव विवरण 221.61						संकलन योग	अनुसूति	
			प्रतिक लक्ष्य	मानविकी	सामग्री	प्रतिक्रिया	कुल लागत	मीटिंग लक्ष्य	मानविकी	सामग्री	प्रतिक्रिया	कुल लागत	प्रतिक्रिया	कुल लागत			
1	कुलों का विवरण																
2	प्रारंभिक																
	(क) हितापार्टी परिवारों के एक-एक सामाजिक विवरण को समर्थन के लिए विवरणिकों द्वारा प्रारंभिक	रु. 2,45 लागत	12500 रुपये	0.331	0.000	0.000	0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लागूक विवरण 10 लागत के तुला में वैदेता जाएगा। प्रधान तर्फे में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वैदेता को कटाई-छटाई करवायी/मात्र माह में की जाएगी।	
	(ख) लाहौ परिवर्तक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक विवित सामाजिक /प्रति 100 सामाजिक समर्त ट्रैनर्स के नामांतरण प्रारंभिक रूप एवं गोद सम्बन्धन, नामांतरण, रांगी में एक समाज का प्रारंभिक	रु. 1775/- प्रति द्वितीय वर्ष	100 रुपये प्रति परिवर्तक विवरण	1.000	0.250	1.250		1.000	0.250	1.250	1.000	0.250	1.250	1.000	0.250	2.219	
3	दूसरी एवं अन्य सामग्री	रु. 1000 वर्ष	रु. 250					2.219	2.219							0.000	5.540
4	वृत्ती की कटाई-छटाई	रु. 5 रुपये	रु. 250					6250 रुपये	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	0.000	8.750
5	बीहन लाहौ का क्रम	रु. 700 प्रति वर्ष	रु. 200					0.000	6250 रुपये	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	0.000	13.385
6	सामाजिक वर्ष	रु. 1 ग्राम प्रति वर्ष	रु. 20					0.000	6250 रुपये	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	1.385
7	फसल संस्करण प्रति वर्ष	रु. 30 रुपये	रु. 100					0.000	6250 रुपये	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	3.750
8	कोटनारांग निष्ठकार देते रहीं जिविता से मिटारे गयी	रु. 1 ग्राम प्रति 10 लागूक	रु. 10000					4 जात विवरण	रु. 100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	7.500
9	कुन्ती का स्कॉरिंग प्रति सामाजिक	रु. 4 जात विवरण	रु. 100					0.000	6250 रुपये	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	1.108
10	तकनीकी सहायता (विवेषणों एवं विवरणिकों का यात्रा व्यय सहित)	रु. 1 ग्राम प्रति 10 लागूक	रु. 5000					0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.750	
11	लाहौ परिवेशकों को मानदेश	रु. 1 ग्राम प्रति वर्ष	रु. 5000					0.300	0.000	0.300	1 परिवेशक (12 माह)	0.600	0.000	0.600	1 परिवेशक (12 माह)	0.600	1.500
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेश	रु. 12 CRP @ 20000 रुपये	रु. 1440					12 CRP (12 माह)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	7.200	
13	अन्य आकारितिक व्यय (बिल्ड/स्टार्टिक रस्ती, रंग, पेंट, स्टेचरी इत्यादि)	रु. 0.000	रु. 0.500					0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.500	
	Concurrent Monitoring and Evaluation (including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	रु. 4,841	रु. 4,155	रु. 0,510	रु. 9,507			4,841	रु. 3,959	रु. 0,510	रु. 9,320	रु. 7,497	रु. 19,875	रु. 0,250	रु. 27,622	रु. 4,727	3,925
16	संकलन योग							4,841	रु. 4,155	रु. 0,510	रु. 9,507	रु. 7,497	रु. 19,875	रु. 0,250	रु. 28,174	रु. 4,227	3,797
								0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.172	0.172	0.911



गोपनीय राज्य सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730

दिनांक -

23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103	29988	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	472,700.00 रुपये चार लाख बहतर हजार सात से
2	P 19 240601796090103	29989	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	472,700.00 रुपये चार लाख बहतर हजार सात से
3	P 19 240601796090103	29990	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	472,700.00 रुपये चार लाख बहतर हजार सात से

योग:

1,418,100.00

क्रमिक योग:

रुपये चौदह लाख अठारह हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29992	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
5	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29994	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
6	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29995	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
7	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29996	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ

योग:

1,890,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तैतीस लाख आठ हजार नौ सौ

3,308,900.00



(SHRI. Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29997	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	रुपये नौ लाख पैतालीस हजार चार सौ
9	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29998	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
10	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29999	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ
11	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30000	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ

योग:

2,363,500.00

क्रमिक योग:

रुपये छप्पन लाख बहत्तर हजार चार सौ

5,672,400.00



(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796090103	30001	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	547,400.00 रुपये पॉच लाख सैतालीस हजार चार सौ
13	P 19 240601796090103	30002	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	547,400.00 रुपये पॉच लाख सैतालीस हजार चार सौ
14	P 19 240601796090323	30004	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
15	P 19 240601796090323	30005	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ


योगः

क्रमिक योगः

रुपये पचाहत्तर लाख छब्बीस हजार छ: सौ

1,854,200.00

7,526,600.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796090323	30007	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री				
17	P 19 240601796090323	30011	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री				
18	P 19 240601796090323	30013	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री				
19	P 19 240601796090323	30015	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री				
योग:				1,518,800.00
क्रमिक योग:	रुपये नब्बे लाख पैंतालीस हजार चार सौ			9,045,400.00


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30018	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
21	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30023	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	759,400.00 रुपये सात लाख उनसठ हजार चार सौ
22	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30026	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ
23	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30029	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सौ

योगः

1,898,500.00

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड नौ लाख तीरयालीस हजार नौ सौ

10,943,900.00


 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796090323	30032	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	379,700.00
25	P 19 240601796090323	30033	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	419,400.00
26	P 19 240601796090323	30036	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	419,400.00
27	P 19 240601796090335	30038	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	25,000.00

योगः

1,243,500.00

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड इक्कीस लाख सित्यारी हजार चार सौ

12,187,400.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUDHARI IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30040	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
29	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30041	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
30	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30045	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
31	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30049	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
योग:				100,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड बाइस लाख सित्यासी हजार चार सौ			12,287,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (IFS))

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30050	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	25,000.00
33	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30051	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	25,000.00
34	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30052	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	50,000.00
35	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30053	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	25,000.00

योगः

125,000.00

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ चौहास लाख बारह हजार चार सौ

12,412,400.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796090335	30055	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
37	P 19 240601796090335	30056	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
38	P 19 240601796090335	30057	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
39	P 19 240601796090335	30058	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
योग:				100,000.00
क्रमिक योग:				12,512,400.00
रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख बारह हजार चार सौ (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND 				